यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, वैर (जि. भरतपुर)

[पीठासीन अधिकारी – गंगाधर मीणा, (आर.ए.एस)]

प्रकरण संख्याः– 215/24 **दर्ज दिनांक– 17.12.2024**

1.श्रीराम पुत्र रामधन जाति गुर्जर निवासी ग्राम समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।
2.पुष्कर पुत्र रामधन जाति गुर्जर निवासी ग्राम समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।
3.मुरारी पुत्र रामधन जाति गुर्जर निवासी ग्राम समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।

———वादीगण

बनाम

1.गजराज पुत्र ऊदलसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।
2.दूल्हैराम पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।
3.प्रकाश पुत्र दूल्हैराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।
4.जगमोहन पुत्र दूल्हैराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।
5.गिरधारी पुत्र दूल्हैराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।

———प्रतिवादीगण

दावा हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थितिः–

1. श्री विकास कुमार शर्मा एडवोकेट वादीगण की ओर से।

निर्णय दिनांक– 13.05.2026

वादीगण की ओर से दावा/वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट. का इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1036 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, 398 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, 403 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 404 रकबा 0.0400 हैक्टेयर वाके ग्राम समराया तहसील वैर जिला भरतपुर में स्थित है जिसमें वादीगण व मॉ कम्पो प्रत्येक 1/48, 1/48 हिस्से के खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। प्रतिवादीगण का वादीगण के खातेदारी काश्तकारी की उपरोक्त आराजी से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी भी प्रकार का नहीं है। इसके बाबजूद भी प्रतिवादीगण वादीगण से बेबजह रंजिश रखते

उपखण्ड अधिकारी
वैर (भरतपुर)

अपने लट्ठ व ताकत के बल पर वादीगण को उनकी आराजी का कोई लाभ नहीं देना चाहते है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के खातेदारी काश्तकारी की आराजी में स्थित बैल से ढली हुई बिजली मोटर की केबिल एवं स्टार्टर को बानियत चोरी करके ले गये। की वादी संख्या 01 श्रीराम द्वारा पुलिस थाना बैर में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। जिसकी से प्रतिवादीगण वादीगण से रंजिश रखने लगे और वादीगण की गांव में कमजोर स्थिति देखते हुए अपने लटठ वा ताकत के बल पर वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा रूकावट करते है। और उनकी आराजी को जोतने बोने नहीं देते और वादीगण की आराजी में खड़े दरख्ती पेड़ों को भी बानियत चोरी से ले जाना चाहते हैं। दिनांक 04.11.2024 को समय करीब 4.00 बजे प्रार्थी एवं उसके भाई अपनी उपरोक्त आराजी में गेहू की बुवाई करने गये तो प्रतिवादीगण आ गये और जिन्होने वादीगण को खुले आम धमकी दी है कि हम तुम्हें इस खेती बोने नहीं देंगे और तुम्हें तुम्हारी आराजी को कोई लाभ नहीं उठाने देंगे। हम तेरे खेतों में खड़े पेड़ों को भी चोरी से काट कर ले जायेंगे और तुम्हें बेदखल कर देंगे। और जबरन लटठ व ताकत के बल पर कब्जा कर लेंगे। प्रतिवादीगण की इस धमकी से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है और अपरमित क्षति हुई है जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से द्रव्य के रूप में किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए वादीगण यह वाद लाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं कि वे उपरोक्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट पैदा नहीं करें एवं खुद आराजी में वादीगण के खड़े दरख्ती पेड़ों को क्षति नहीं पहुंचायें। अन्त में वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण द्वारा दावा के साथ नकल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम समरावा पेश किये हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 वाद तामिल न्यायालय हाजा तारीख पेशी में अनुपस्थित रहने पर आदेशिका दिनांक 03.12.2025 के द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम समरावा की फोटोप्रति संलग्न किया है एवं मौखिक साक्ष्यवादी में वादी की ओर से श्रीराम (pw1)का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने विद्वान अभिभाषक वादी की एकपक्षीय बहस सुनी। विद्वान अभिभाषक वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी संवत

उपखण्ड अधिकारी
बैर (भरतपुर)

-78 अनुसार विवादित आराजीयात में वादीगण खातेदार दर्ज अभिलेख है। प्रतिवादीगण ाजस्व अभिलेख अनुसार विवादित आराजीयात में कोई खातेदारी दर्ज अभिलेख नही है ना ही विवादित आराजीयात बाबत् कोई सम्बन्ध सरोकार ऐसी स्थिति में वाद वादीगण ालय की विनम्र राय में राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 55 डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण एकपक्षीय डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उपरोक्त आराजी में वादीगण के निहित हिस्से में के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट पैदा नहीं करें एवं उक्त आराजी में वादीगण के खडे दरख्ती पेडों को क्षति नहीं पहुंचाये। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मौहरयुक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
वैर,भरतपुर